

दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवासीय योजना 2014



DDA HOUSING SCHEME 2014

1 सितम्बर से 9 अक्टूबर 2014 तक
from 1st September to 9th October 2014

दिल्ली विकास प्राधिकरण
Delhi Development Authority

लगभग
Approx.
25000
फ्लैट
Flats



फार्म भरने के लिए अनुदेश / INSTRUCTIONS TO FILL APPLICATION FORM

सामान्य अनुदेश

- आवेदन-पत्र साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए।
- आवेदन-पत्र केवल काली स्याही या नीली स्याही वाले बॉलपेन द्वारा भरा जाना चाहिए।
- एक अक्षर/संख्या के लिए एक बॉक्स का प्रयोग करें।
- एक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ें।
- अपना नाम, आवेदन-पत्र संख्या और टेलीफोन नम्बर अपने डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के पीछे लिखें।
- दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो घिपकाएँ और फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में तथा आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।
- संयुक्त आवेदन के मामले में दिए गए बॉक्स में संयुक्त आवेदक की नवीनतम फोटो घिपकाएँ और फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में तथा आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।
- आवेदन पत्र केवल अनुलग्नक 'ख' के अनुसार किसी निर्धारित बैंक के माध्यम से जमा किए जाएंगे।

विशेष अनुदेश

- आवेदक अपना नाम पैन कार्ड/पत्र (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या) के अनुसार लिखें।
- आवेदक के पिता का नाम पैन कार्ड/पत्र के अनुसार लिखें।
- आवेदक के पति/पत्नी का नाम लिखें (यदि विवाहित हैं)।
- आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है।
- आवेदक के बैंक खाते के विवरण दिए जाएँ। यदि एक आवेदक ने किसी अन्य खाते या फर्म के खाते या कम्पनी के खाते से धनराशि निकाली है तो आवेदन पत्र में दिए गए आवेदक के बैंक के विवरण दिए जाएँ। बैंक के ये विवरण नाम के साथ धन राशि वापस करने के बैंक पर मुद्रित किए जाएंगे और इस धनराशि वापसी के बैंक को उस खाते में जमा किया जा सकता है यदि आवेदक का नाम और बैंक के विवरण बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। संयुक्त नाम में आवेदन के मामले में धन राशि वापसी का बैंक प्रथम आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा, इसलिए आवेदक का बैंक विवरण दिया जाए।
- खाते में राशि सीधे लौटाने के लिए आई एफ एस सी कोड का उल्लेख करें।
- कृपया एसटीडी कोड सहित अपना फोन नंबर, ई-मेल आई डी और मोबाइल नंबर, यदि कोई हो, दें। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योंकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में बैंक को सहायता मिलेगी।
- यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी का है तो उस श्रेणी का कोड लिखें जिससे आवेदक संबंध रखता हो। प्रत्येक श्रेणी का कोड निम्नानुसार है:

श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	अ.जा.
अनुसूचित जनजाति	अ.ज.जा.
युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवा	सै.वि.
अशक्त व्यक्ति	अ.व्यक्ति
भूतपूर्व सैनिक	भू.पू.सै.
सामान्य श्रेणी	सा.श्रे.

अशक्तता स्तर : अशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन करेगा। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम है तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/ती है।

- आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
- धनराशि की वापसी का बैंक/मांग एवं आबंटन पत्र भेजने के लिए पत्र-व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
- (क) यदि आवेदन संयुक्त नाम में किया गया हो, तो संयुक्त आवेदक के नाम का उल्लेख करें।
(ख) आरक्षित श्रेणी के मामले में आवेदक के साथ संयुक्त आवेदक के संबंध का उल्लेख करें।
- (क) यदि पति और पत्नी दोनों ने अलग-अलग आवेदन किया है, तो पति/पत्नी (स्पाउज) का नाम लिखें।
(ख) यदि पति और पत्नी दोनों ने अलग-अलग आवेदन किया है तो पति/पत्नी की आवेदन-पत्र संख्या लिखें।
- आवेदक, जिन स्थानों (अनुलग्नक 'क' में दिए गए स्थान) के लिए आवेदन करना चाहता है, कृपया उनका कोड लिखें और अपनी वरीयता भरें तथा जिन वरीयताओं को भरा नहीं गया हो, उन पर x का निशान लगाएँ।
- पंजीकरण राशि 1,00,000/-रुपये अथवा 10,000/-रुपये (ई.डब्ल्यू.एस.) जैसा मामला हो, का विवरण लिखें। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक 'डी.डी.ए. हाउसिंग' के पक्ष में केवल दिल्ली/नई दिल्ली में देय होना चाहिए। यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रयोग करता है तो उसे पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र के साथ फार्म की लागत के रूप में 150/-रु. (जिसमें वैट राशि शामिल है) सहित पंजीकरण राशि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज करनी होगी।
- पंजीकरण राशि संग्रहण कर्ता बैंक द्वारा प्रकाशित ऑन लाइन आवेदन पत्र द्वारा एन.ई.एफ. टी./आर.टी.जी.एस./नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। तथापि, पंजीकरण राशि के भुगतान के लिए डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणी: (i) कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। यदि कोई कॉलम ठीक तरह से नहीं भरा गया हो/ गलत तरीके से भरा गया हो, तो ऐसे आवेदन पत्र के रद्द होने की जिम्मेदारी केवल आवेदक की होगी।
(ii) भाषा विसंगति के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

GENERAL INSTRUCTIONS

- Only capital letters should be used.
- Application should be filled in black or blue ball pen only.
- Use one box for one letter/number.
- Leave one box blank after one word.
- Write your name, application number and telephone number at the back of your demand draft/banker's cheque.
- Paste latest photograph in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form
- In case of joint application, paste the latest photograph of the joint applicant in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form.
- The application shall only be submitted through a designated Bank as per annexure 'B'.

SPECIFIC INSTRUCTIONS

- Write name of the applicant as given in PAN card/letter (Permanent Account Number issued by the Income Tax Department).
- Write father's name of applicant as given in PAN card/letter.
- Write name of spouse of the applicant (if married).
- Permanent account number of applicant needs to be given.
- Give detail of bank account of applicant. If an applicant has withdrawn money from any other account or firm's account or company's account, the bank details of the first applicant whose name is given in the application form needs to be given. These bank details would be printed on the refund cheque along with the name and refund cheque can be deposited in that account if name of the applicant and bank particulars match with the bank's records. In case of application in joint name refund cheque would be issued in the name of applicant and hence, bank details of the applicant need to be given.
Provide IFSC Code to enable refund directly to the account.
- Give phone number with STD code, email id and mobile number, if any. It would be in the interest of the applicant to give these details as it helps the bank to contact the applicant in case of any need.
- Write code for the category to which the applicant belongs. In case applicant is from reserved category. The code for each category is given below:-

Category	Code
Scheduled caste	SC
Scheduled tribe	ST
War Widows	WW
Persons with disability	PD
Ex-Servicemen	EX
General Category	GE

Disability Clause: A person with disability shall apply in his/her own name but the application may be submitted through his/her legal guardian if he/she is unable to do so himself/herself.

- Residential address of the applicant needs to be given.
- Correspondence address for dispatch of refund cheque/demand-cum-allotment letter to be mentioned.
- (A) In case of a joint application mention the name of the joint applicant.
(B) Mention relation of joint applicant with the applicant in case of any reserved category.
- (A) Mention the name of the spouse, if both husband and wife apply separately.
(B) Mention application no. of the spouse, if both husband and wife apply separately.
- Please write the code (given in annexure 'A') for the locality for which applicant wants to fill all preferences and put (X) cross marks in preferences not filled.
- Write details of the registration money of ₹1,00,000/- or ₹10,000/- (EWS), as the case may be. Demand draft/banker's cheque should be in favour of DDA HOUSING - payable at Delhi/New Delhi only. In case applicant has used online application form, registration money alongwith ₹150/- (inclusive VAT) towards the cost of form to be entered in online form alongwith the completely filled application form.
- Registration money can also be deposited through NEFT/RTGS/net banking through online application published by collecting bank. However, Debit/Credit cards are not accepted for payment of Registration money.

NOTE (i) Please read the instructions carefully before filling up the application form. In case any column is not filled up properly/filled wrongly, the liability of rejection of such application will solely rest on the Applicant.

(ii) In case of discrepancies in language, English language will be valid.



DDA HOUSING SCHEME 2014

1. योजना

- I इस योजना का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण की "दि.वि.प्रा. आवासीय योजना-2014" है।
- II यह योजना दिनांक 01.09.2014 से 09.10.2014 तक खुली रहेगी।
- III इस योजना के अंतर्गत फ्लैटों का विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।
- IV पुरानी सूची के 811 फ्लैटों के संबंध में, एक ही आवंटी को कब्जा सौंपने से पहले मूल स्थिति में बहाल हो जाएगा।
- V ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अन्तर्गत 700 फ्लैट हैं।

2. पात्रता

- I आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- II आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- III आवेदक के पास दिल्ली, नई दिल्ली, अथवा दिल्ली छावनी क्षेत्र में पट्टा धारिता आधार पर अथवा फ्री होल्ड आधार पर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अविवाहित बच्चों सहित आश्रित संबंधियों के नाम में कोई आवासीय इकाई या फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- IV परिवार से अभिप्राय पति/पत्नी और अविवाहित बच्चों सहित आश्रित संबंधियों से है।
- V पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर पति-पत्नी दोनों अलग-अलग इस शर्त पर फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि दोनों के सफल होने पर केवल एक को ही फ्लैट आवंटित किया जाएगा।
- VI एक व्यक्ति या तो अपने नाम से या संयुक्त आवेदक के रूप में केवल एक आवेदन पत्र जमा करा सकता/सकती है।
- VII कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी एजेंसी द्वारा दिल्ली में प्लॉट/मकान/फ्लैट पहले ही आवंटित किया जा चुका है, चाहे उसका आकार कितना भी हो, वह इस योजना के अन्तर्गत अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
- VIII ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को छोड़कर अन्य के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और वहन क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है।
- IX ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- X आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन-पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'केवाईसी' मानकों का पालन किया है।
- XI आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और केवल ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट के लिए आवेदन को छोड़कर सभी आवेदन पत्र में उसका उल्लेख करें।
- XII अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत संयुक्त नाम में आवेदन-पत्रों के मामले में संयुक्त आवेदक उपर्युक्त उपखंड (iv) में यथा परिभाषित परिवार से होना चाहिए।
- XIII युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, अशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत संयुक्त नाम में आवेदन पत्रों के मामले में आवेदक स्वयं आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए और संयुक्त आवेदक उपर्युक्त उपखंड (iv) में यथा परिभाषित परिवार से होना चाहिए।

3. आरक्षण

इस योजना के अंतर्गत आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है:-

- I 15 प्रतिशत फ्लैट अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे।
- II 7.5 प्रतिशत फ्लैट अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष फ्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत भी की जाएगी।
- III 1 प्रतिशत फ्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और सशस्त्र/अर्धसैनिक सेवाओं से उदासीकृत पेशन प्राप्तकर्ताओं के लिए आरक्षित होंगे।
- IV 3 प्रतिशत फ्लैट अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में यथा परिभाषित अशक्त व्यक्तियों के लिए होंगे।
- V 1 प्रतिशत फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे।

टिप्पणी:

- क) यदि आरक्षित श्रेणी के संबंध में फ्लैटों की संख्या अंश (फ्रैक्शन) में अर्थात् 0.5 से कम आती है तो पूर्णांक में बदलकर शून्य और यदि 0.5 या इससे अधिक आती है तो पूर्णांक में बदलकर एक कर दिया जाएगा।

1. SCHEME

- I. This scheme is called "DDA Housing Scheme, 2014", of the Delhi Development Authority".
- II. This scheme shall remain open from 01.09.2014 to 09.10.2014.
- III. Details of flats under this Scheme are given at annexure 'A'.
- IV. In respect of 811 flats of old inventory, the same will be restored to original condition before handing over the possession to the allottee.
- V. 700 flats under EWS category

2. ELIGIBILITY

- I. The applicant must be a citizen of India.
- II. He/she should have attained the age of majority, i.e., an applicant should have completed 18 years of age as on the date of submitting the application.
- III. The applicant must not own any dwelling unit (including residential plot)/flat in full or in part on lease hold or free hold basis in Delhi, New Delhi or Delhi Cantonment, either in his/her own name or in the name of his/her spouse or in the name of any of his dependent relations including unmarried children.
- IV. **Family means spouse and dependant relations including unmarried children.**
- V. Both husband and wife can apply for flats separately subject to fulfillment of eligibility conditions with the stipulation that if both are found to be successful only one shall be allotted a flat.
- VI. **One person can submit one application only either in his/her own name or as a Joint applicant.**
- VII. A person who has already been allotted a plot/house/flat by the DDA or any other land owning agency in Delhi, irrespective of size, shall not be eligible to apply for another flat under this scheme.
- VIII. There is no income criterion, except for applicants applying for EWS flats. The applicant can apply according to his/her requirement and affordability.
- IX **The income of applicants applying for EWS flats should not exceed ₹1 lakh per annum.**
- X. The applicant should have an account in any bank and the particulars must be filled in the application form. It is assumed that the bank has followed 'KYC' norms of Reserve Bank of India in respect of such account.
- XI. **Applicant must have Permanent Account Number (PAN) allotted under the provisions of Income Tax Act and the same must be quoted in the application form except when applying only for a EWS flat.**
- XII In case of joint application under SC/ST reserved category, the joint applicant should be from within the Family as defined in the sub-clause (IV) above.
- XIII In case of joint application under war widows, persons with disabilities, ex-servicemen reserved categories, the applicant himself/herself should fall within the reserved category and the joint applicant should be from within the Family as defined in sub-clause (IV) above.

3. RESERVATIONS

The details of reservations under this scheme are as given below:-

- I. 15 % of the flats for applicants belonging to Scheduled Castes.
- II. 7.5% for applicants belonging to Scheduled Tribes.
If adequate number of applications are not received from applicants belonging to ST category, remaining flats shall be disposed of in favour of applicants belonging to SC category and vice-versa.
- III. 1% for war widows and those receiving liberalised pension from armed/paramilitary services.
- IV. 3% for persons with disability as defined in Section 2 of The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
- V. 1% for ex-servicemen.

Note:

- a. In case number(s) of flats in respect of reserved category comes to a fraction, i.e., less than 0.5 it would be rounded off to zero and if it is 0.5 or more it would be rounded off to one.

- ख) यदि उपर्युक्त पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो बचे हुए सभी फ्लैट सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को आवंटित कर दिए जाएंगे।
4. आवेदन कैसे करें
- I इस योजना के अंतर्गत केवल ई.डब्ल्यू.एस फ्लैट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को ₹10,000/- की पंजीकरण राशि जमा करनी होगी।
 - II इस योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों से इतर अन्य फ्लैटों के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को ₹1,00,000/- की पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। यदि आवेदक ई.डब्ल्यू.एस. के साथ-साथ अन्य श्रेणी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे ₹1,00,000/- की पंजीकरण राशि जमा करानी होगी।
 - III पंजीकरण राशि "डी.डी.ए. हाउसिंग" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय, किसी भी बैंक के सिंगल बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अनुलग्नक 'ख' में उल्लिखित बैंकों की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी।
 - IV आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व लिए जाएंगे। दि.वि. प्रा. समापन समय के पश्चात किसी भी कारण से आवेदन-पत्र की प्राप्ति में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन-पत्र के साथ बैंक, मल्टीपल बैंकर्स चेक/मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मामले में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./नेट बैंकिंग के रूप में भुगतान स्वीकार्य होगा। डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान की अनुमति नहीं है।
 - V आवेदन-पत्र आवासीय योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान-माध्यम की तिथि आवासीय योजना के बंद होने के बाद की है, तो ऐसे आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार केवल आवेदक होगा। दि.वि.प्रा. लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन-पत्र पर विचार नहीं करेगा।
 - VI आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार अपनी एक अथवा अधिक प्राथमिकता लिखने के लिए अनुलग्नक 'क' में दिये हुए स्थान के कोड को भरें एवं शेष बॉक्स में X का निशान लगाएं। यह मान लिया जाएगा कि प्राथमिकता देने से पहले आवेदक ने स्थान को देख लिया है। यदि कोई बॉक्स खाली रहता है अथवा निर्धारित स्थान कोड में प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा एवं अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा सैक्टर/पॉकेट/तल के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और सैक्टर/पॉकेट या तल को बदलने के लिए दिये गये किसी अनुरोध पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
 - VII आवेदन-पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अंतर्गत फ्लैट लेना चाहता है, केवल उन मामलों को छोड़ कर जिनमें आवेदक अशक्त हो, ऐसे मामले में वह अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता/सकती है। किसी भी आवेदक को आवेदन-पत्र में किसी विवरण को काटना, मिटाना या उसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई आवेदक परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन-पत्र प्राप्त करके उसे भरें।
 - VIII किसी भी सर्शर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. आवेदन जमा करते समय किसी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। योजना के अनुसार केवल सफल आवेदकों को समर्थक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।
6. फ्लैटों के ड्रा के पश्चात् जमा किए जाने वाले दस्तावेज
- (क) सभी श्रेणियों के लिए
- (i) केवल ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के लिए किये गये आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य सभी आवेदन पत्रों के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैर (स्थायी खाता संख्या) की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृहकर की रसीद, बैंक पास बुक (जिस पर नाम और पता हो), सी.जी. एच.एस. कार्ड अथवा आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति।
 - (iii) आवेदन-पत्र में उल्लिखित खाते की बैंक पास बुक/खाते का पिछले एक वर्ष का विवरण अथवा वित्त वर्ष 2012-13 अथवा आकलन वर्ष 2013-14 की जमा आयकर विवरण की स्व अनुप्रमाणित प्रति। यह सुनिश्चित किया

- b. If requisite number of applications are not received from the above mentioned five categories, all remaining flats shall be offered to persons of general category.

4. HOW TO APPLY

- i Applicant applying only for EWS flat under this scheme shall have to deposit the registration money of ₹10,000/-.
 - ii. Applicant applying for flats other than EWS flats under this scheme shall have to deposit the registration money of Rs.1,00,000/-. In case an applicant wishes to apply for EWS as well as other category the applicant would need to deposit registration money of ₹1,00,000/-.
 - iii. The registration amount shall be deposited along with a single banker's cheque/demand draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi in any of the Nodal branches of the Banks mentioned in annexure 'B'.
 - iv. Duly completed application, in all respects along with the requisite payment, should be received by a designated Bank as per annexure B before close of banking hours of the last date for submission of applications. DDA shall not be responsible in any manner for delay in receipt of an application for any reason whatsoever beyond the closure time. Payment by cheque, multiple bankers' cheque/multiple demand draft will not be accepted with the application form. The payment in the form of NEFT/RTGS/Net banking in case of online application will be accepted. Payment through credit/debit cards are not permitted.
 - v. **Application forms will not be accepted after date of closure.** In case it is found at any stage that the issue date of payment instrument is after the closure of the scheme, such applications would be summarily rejected and the applicant would be solely responsible for it. DDA would not entertain any such application in draw of lots.
 - vi. The applicant may give one or more preferences of his/her choice by writing locality codes, given in annexure 'A', in appropriate box and put a cross (X) against the preferences not exercised. It is presumed that applicant has seen the locality before giving preference. **If any box is left blank or preferences are not given in prescribed locality codes, form would be considered incomplete and would be rejected.** No preference for sector/ pocket/ floor can be exercised by the applicant and no request for change of sector, pocket or floor shall be entertained by the DDA.
 - vii. The application form should be signed only by the applicant himself/herself, who wants to get a flat under this scheme except in the case of a person with disability who being unable to do so applies through his/her guardian. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application form. In case a person desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application form.
 - viii. No conditional application forms will be considered. Incomplete application forms shall be rejected summarily without conveying any reason to the applicant.
5. **There will be no requirement of submitting any document at the time of submission of application. Only the successful applicants will be required to submit supporting documents as per the Scheme.**
6. **DOCUMENTS TO BE SUBMITTED AFTER DRAW OF FLATS**
- (A) **FOR ALL CATEGORIES**
- (i) Self attested copy of PAN (Permanent Account Number), except when application is only for EWS flat issued by Income Tax Department.
 - (ii) Proof of residence, e.g., self-attested copy of passport, government identity card, election card, ration card, driving license, telephone bill, electricity bill, water bill, house tax receipt, bank pass book (page carrying name and address), CGHS card or Aadhar card.
 - (iii) Self attested copy of bank pass book/statement of account mentioned in the application form for the last one year or copy of income tax return filed for the financial year 2012-13, i.e., assessment year 2013-14. It should be ensured that the



DDA HOUSING SCHEME 2014

जाए कि संबंधित बैंक ने उस खाते के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'केवाईसी' मानकों का पालन किया है।

- (iv) आवेदक के निवास स्थान की सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण।
- (v) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के लिए संबंधित एस.डी.एम./तहसीलदार के कार्यालय से आय का प्रमाण।

(ख) आरक्षित श्रेणी के लिए

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे;

- (i) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) यदि आवेदक अशक्त व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (iii) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (iv) यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाएँ भी शामिल हैं, की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों द्वारा जारी किए गए 'अपेक्षित प्रमाण-पत्र' की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) फ्लैटों के ड्रा के पश्चात् फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:-

- क) भुगतान के प्रमाण के साथ-साथ उस बैंक की खाता पास बुक/बैंक विवरण की प्रति जो उस बैंक प्रबन्धक द्वारा विधिवित् अनुप्रमाणित हो, जिस बैंक से आबंटन धनराशि जमा की गई है।
- ख) अनुलग्नक 'ग' और 'घ' में दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ-पत्र।
- ग) अनुलग्नक 'ड.' में दिए गए प्ररूप के अनुसार वचन-बंध पत्र।
- घ) अपनी तथा पति/पत्नी, यदि कोई हो, की फोटो और तीन हस्ताक्षर अनुलग्नक 'घ' में दिए गए प्ररूप के अनुसार विधिवत् अनुप्रमाणित हों।
- ड.) पहचान का प्रमाण तथा आवासीय पते का प्रमाण।
- च) आवेदन-पत्र में यथा उल्लिखित पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति।

7. आबंटन का तरीका

सभी पात्र आवेदकों को रैंडम नम्बर टैक्नीक के आधार पर कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से फ्लैटों का आबंटन किया जाएगा। ड्रा स्वतंत्र प्रेक्षकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

8. आबंटन का परिणाम

- I ड्रा का परिणाम विकास सदन, डी ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23 स्थित दि.वि.प्रा. के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वेबसाइट <http://www.dda.org.in> पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।
- II सफल आबंटितियों को मांग एवं आबंटन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। तथापि, ड्रा का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदक/आबंटितियों को मांग एवं आबंटन पत्र देर से मिलने/नहीं मिलने के लिए दि.वि.प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा।
- III कुल फ्लैटों के 5 प्रतिशत के बराबर आवेदकों की एक अलग प्रतीक्षा सूची भी प्राथमिकता के आधार पर घोषित की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची सफल आवेदकों को जारी किये गये माँग-पत्रों की तिथि से केवल 15 माह तक वैध होगी। प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृत व्यक्तियों की पंजीकरण राशि को असफल पंजीकृत व्यक्तियों की राशि के साथ वापिस कर दिया जाएगा। तथापि, ड्रा निकालने से पहले यदि यह ड्रा वापिस किये गये/रद्द किये गये फ्लैटों के आबंटन के लिए किया जाता है, तो ऐसे सभी पात्र प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों से पंजीकरण राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। उन्हें इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा तथा जिन आवेदकों ने ड्रा से पहले पंजीकरण राशि जमा कर दी है केवल उनका नाम शामिल किया जाएगा। पूर्व में तय की गई प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को, वापिस किए गए फ्लैट आबंटित करने के लिए माँग पत्र जारी करने की तिथि से 12 माह बाद केवल एक बार ड्रा निकाला जायेगा। माँग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 12 माह के अंदर वापिस किए गए फ्लैट ही प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित करने

concerned bank has followed KYC norms of Reserve Bank of India in respect of such account.

- (iv) Ownership proof of the property of the residence of the applicant.
- (v) Proof of Income for EWS Category from the office of concerned SDM/Tehsildar.

(B) FOR RESERVED CATEGORY

In addition to (A) above, persons applying under any of the reserved categories have to submit:-

- (i) An attested copy of the original certificate from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the area concerned in case the applicant belongs to the reserved category of SC/ST.
- (ii) An attested copy of the original certificate issued by the Medical Board of a Govt. Hospital in case the applicant is applying under the reserved category of persons with disability. An attested copy of guardianship certificate, wherever applicable be attached.
- (iii) An attested copy of Discharge Certificate from the competent authority of Ministry of Defence / Armed Forces in case of ex-servicemen.
- (iv) An attested copy of "Requisite Certificate" issued by the Ministry of Defence/Armed Forces/Para Military Forces, in case applicant comes under reserved category of war-widows which would include those receiving liberalised pension.

(C). FOR POSSESSION OF FLAT AFTER DRAW OF FLATS

Applicant to submit:

- a. Copy of bank account pass book/bank statement duly attested by the Bank Manager from which the allotment money has been deposited alongwith payment proof.
- b. Affidavit as per proforma given in annexures-C and D.
- c. Undertakings as per proforma given in annexure-E.
- d. Photograph and three signatures of self and spouse, if any, duly attested as per proforma given in annexure-F.
- e. Identity proof and address proof.
- f. Self-attested copy of PAN card as mentioned in the application.

7. MODE OF ALLOTMENT

All the eligible applicants shall be considered for allotment through a computerized draw based on random number technique. The draw shall be held in the presence of independent observers.

8. RESULT OF ALLOTMENT

- I. The results of the draw shall be displayed on the notice board of DDA at Vikas Sadan, D-Block, INA, New Delhi-23. In addition the result shall be displayed on the website of DDA with the address <http://www.dda.org.in> and will also be published in leading national newspapers.
- II. The demand-cum-allotment letters will be dispatched to the successful allottees by registered/speed post. However, it shall be the responsibility of the applicant to check the result of the draw. DDA would not be responsible for delay/non-receipt of the demand-cum-allotment letter by applicant /allottee.
- III. A separate wait list of applicants equal to 5% of total flats will also be declared in order of priority. The wait list will be valid only for 15 months from the date of issue of demand letters to successful applicants. The registration money of wait listed registrants shall be refunded along with unsuccessful registrants. However, before going for the draw in case the same takes place for allotting the surrendered/cancelled flats, all such eligible waitlisted Applicants shall be asked to deposit the registration money. 15 days' time shall be given to them to do so and only those names shall be included who have deposited their registration money prior to the draw. A draw will be held only once after 12 months from the date of issue of demand letters for allotment of the surrendered flats to the wait listed registrants as per the priority decided initially. Only those flats which are surrendered within 12 months from date of

के लिए शामिल किए जाएंगे। यह प्रतीक्षा सूची केवल इसलिए बनाई गई है कि वापिस किए गए फ्लैट (यदि कोई हों), खाली रखने के बजाय उन्हीं पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जाएँ और यह सूची 15 माह तक वैध रहेगी। इसलिए यदि प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृत व्यक्ति वापिस किए गए फ्लैटों में से फ्लैट पाने में असफल रहते हैं तो उनका इन फ्लैटों पर कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि वे सफल रहते हैं तो इस फ्लैट का मूल्य वही होगा, जो माँग एवं आबंटन पत्र जारी करने की तिथि को फ्लैट का मूल्य होगा।

9. पंजीकरण राशि पर ब्याज

- I सफल आवेदकों के मामले में योजना बंद होने की अंतिम तिथि से तीन माह के अंदर यदि झा होता है, तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- II असफल आवेदकों के मामले में इस योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से तीन महीने के अंदर यदि राशि वापिस हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- III असफल आवेदकों के मामले में इस योजना के बंद होने की तिथि से तीन महीने के अंदर यदि पंजीकरण राशि वापिस नहीं की जाती है तो पंजीकरण राशि पर यह योजना बंद होने के तीन महीनों के बाद की अवधि हेतु 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- IV आवेदकों को झा होने के एक महीने के अंदर यदि अपना पैसा वापिस नहीं मिलता है तो उन्हें सलाह दी जाती है वे उस बैंक की नोडल शाखा से सम्पर्क करें जहाँ उन्होंने आवेदन पत्र जमा किया था। दि.वि.प्रा. द्वारा डाक में विलम्ब होने अथवा दिए गए पते पर आवेदक के उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण पता होने के कारण किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

10. असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी

- I दि.वि.प्रा. को दी गई पंजीकरण राशि अनुलग्नक 'ख' में दर्शाये गए नोडल बैंक द्वारा जहाँ आवेदक ने आवेदन-पत्र जमा किया हो, द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के बैंक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। दि.वि.प्रा. या बैंक, योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी, हानि/मूटिलेशन, धन वापसी के बैंक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- II जमा राशि वापिस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो तो वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जाएगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण बैंक पर चिन्हित होंगे इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।
टिप्पणी:— यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराने होंगे क्योंकि इन ब्यौरों को धन वापसी बैंक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।
- III यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहाँ कूरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहाँ धनराशि वापिस करने के बैंक/मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार कूरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक को अनुलग्नक 'ख' में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलों में आवेदक/आबंटिती द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए दि.वि.प्रा./बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

11. फ्लैट लौटाना/रद्द होना

- I सफल आवेदकों के पास कब्जा पत्र जारी किये जाने से पूर्व फ्लैटों को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अंदर पूरा भुगतान न किये जाने की स्थिति में आबंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताआ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। दोनों मामलों में जमा राशि बिना ब्याज के वापिस की जाएगी। तथापि, निर्धारित रद्दकरण प्रभार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा:—

issue of demand letters would be included for allotment to waitlisted registrants. The wait list is created just to ensure that the surrendered flats (if any) are allotted to same registrants rather than keeping them vacant and the list will be valid only for 15 months and, hence, it doesn't create any right of the wait listed registrants if they fail to get a flat from the surrendered ones. If successful, the cost would be the cost of the flat on the date the demand cum-allotment letter is issued.

9. INTEREST ON REGISTRATION MONEY

- I. No interest will be paid if the draw is held within three months from the last date of closure of this scheme in case of successful applicants.
- II. In case of unsuccessful applicants, no interest will be paid, if the amount is refunded within three months from the last date of the closure of this scheme.
- III. In case registration money is not refunded within three months from the closure of this scheme, in case of unsuccessful applicants, simple interest @ 8% p.a. will be paid on the registration money for the period beyond three months after the closure of this scheme.
- IV. Applicants not getting refund within one month from holding the draw are advised to contact the nodal branch of the bank in which application was deposited. DDA will not pay any interest in case of postal delay or applicant not available at given address or in case of incomplete address.

10. REFUND TO UNSUCCESSFUL APPLICANTS

- I. DDA will refund the registration money through the nodal branch, as indicated in annexure 'B', of the bank wherein the allottee had deposited the application form. The concerned bank shall be responsible for the dispatch of refund cheques to the unsuccessful applicants. The bank shall bear the responsibility for any loss on this account. DDA or the bank will not entertain any application for refund, loss/mutilation, and non-encashment of refund cheque one year after the closure of this scheme.
- II. For getting refund, the applicant has to clearly mention his/her bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made in the name of the first applicant only and, therefore, only his/her bank account number should be given. This account number and bank particulars will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the application form.
Note: In case the application money has been paid from the account of the firm/company, etc., of the applicant, still for the purpose of refund, the applicant's bank details have to be provided as the same would be printed on refund cheque and in case of mismatch of account number and payee's name, the bank would not clear the instrument. In order to avoid such a situation, it is advised to recheck this before submitting the application form.
- III. In case applicant has given address of a place/office, where entry of courier is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/demand letter would on failure of courier be through prescribed mode only. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.

11. SURRENDER/CANCELLATION

- I. A successful applicant shall have the option to surrender the flat before the issue of the possession letter. Allotment will be automatically cancelled in case payment is not made within the prescribed period. No show cause notice shall be issued for the purpose. In both the cases, amount deposited is refundable without any interest. However, cancellation charges as prescribed below shall be recovered:



DDA HOUSING SCHEME 2014

क्र.सं.	मांग पत्र के जारी होने की तिथि से निम्नलिखित दिनों के अंदर वापस लौटाना/रद्द करना	निम्नलिखित मामलों में	
		ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स	अन्य
1.	मांग पत्र जारी होने से पहले	शून्य	शून्य
2.	प्रथम दिन से 90 दिन तक	1000/-	5000/-
3.	91 दिन से 180 दिन तक	2000/-	25000/-
4.	181 दिन से 365 दिन तक अर्थात् स्वतः निरसतीकरण की तिथि	5000/-	50000/-

II फ्लैट लौटाने/रद्द करवाने के मामले में धन राशि वापिस पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- आबंटित फ्लैट के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया मूल आबंटन एवं मांग-पत्र।
 - आवेदन पत्र में दिए गए पते में परिवर्तन होने की दशा में आवास का प्रमाण आवेदन पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की दशा में पास बुक अथवा बैंक मैनेजर/प्रभारी के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- टिप्पणी:**—फ्लैट के स्वतः रद्द होने की स्थिति में जैसा कि ऊपर दिया गया है, राशि की वापसी रद्दकरण के प्रभार की कटौती के बाद की जाएगी और जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, जैसा ऊपर बताया गया है।

12. फ्लैटों की निपटान लागत

- फ्लैटों की अंतिम निपटान लागत अनुलग्नक 'क' में दी गयी है। उपरोक्त लागत में भूमि प्रीमियम, निर्माण लागत तथा भूमि के प्रीमियम और निर्माण लागत पर 20 प्रतिशत सरचार्ज शामिल है। निर्माण की लागत में, विभागीय प्रभार तथा निर्माणावधि के दौरान ब्याज शामिल है। भूमि प्रीमियम सामान्यतः हर वर्ष एक अप्रैल को जबकि निर्माण की लागत वर्ष में दो बार एक अप्रैल तथा एक अक्टूबर को संशोधित की जाती है। श्रेणी के भीतर लागत में भिन्नता फ्लैटों के कुर्सी क्षेत्रफल में भिन्नता के कारण है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार कुछ अन्य फ्लैटों को जोड़ा अथवा कम किया जा सकता है। यदि क्षेत्रफल में बदलाव होता है, तो फ्लैटों की लागत तदनुसार बदलेगी।
- अक्टूबर, 2010 के बाद बनाए गए नए हाउसिंग पॉकेटों के संबंध में, सामान्य क्षेत्र के रख-रखाव के लिए एक रख-रखाव फंड की व्यवस्था की जा रही है। इस उद्देश्य हेतु, 30 वर्षों के लिए सिविल और विद्युतीय रख-रखाव प्रभारों को निपटान लागत में जोड़ दिया गया है। एकत्रित किए गए सम्पूर्ण रख-रखाव फंड को एस्को खाते के रूप में समग्र निधि (कॉर्पस) में रखा जाएगा तथा रख-रखाव (धालू एवं पूंजीगत) को समग्र निधि के अर्जित ब्याज से किया जाएगा। फंड को दि.वि.प्रा. में पंजीकृत, आर.डब्ल्यू.ए. में बांटा जाएगा तथा जिसका प्रबंध एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता द्वारा दि.वि.प्रा. का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। सभी नव निर्मित फ्लैटों के सिविल एवं विद्युतीय रख-रखाव को, रख-रखाव के लिए बनाई गई समग्र निधि के ब्याज से दि.वि.प्रा. में पंजीकृत, आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा पूरा किया जाएगा। इस काम में किसी कमी की स्थिति में, दि.वि.प्रा. में पंजीकृत, संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. इस कमी को आबंटित से अंशदान लेकर दूर करेगा और दि.वि.प्रा. रख-रखाव के लिए कोई फंड नहीं देगा। रख-रखाव फंड प्रथम मांग-एवं-आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से प्रचालित होगा।
- अनुलग्नक 'क' की क्रम संख्या 1-24 के फ्लैट पुराने हैं। निर्माण लागत पर मूल्य हास का लाभ इन फ्लैटों की अस्थायी निपटान लागत की गणना के समय दिया गया है। इस पर एक समय-कालिक (वनटाइम) रखरखाव राशि वसूल नहीं की गई है।
- अनुलग्नक 'क' की क्रम संख्या 25-34 के फ्लैट नई इन्वेंट्री हैं। अनुलग्नक 'क' की क्रम संख्या 26, 29 से 34 के फ्लैट समापन के अंतिम चरण में हैं। उल्लिखित अंतिम लागत और कुर्सी-क्षेत्रफल अनुमानित आधार पर हैं। निपटान लागत और कुर्सी क्षेत्रफल को समापन के समुचित स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा तथा तदनुसार मांग की जाएगी।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त आबंटित को हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के समय परिवर्तन प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य लेवीज का भुगतान करना होगा।
- फ्लैट की कीमत एवं प्रभारों का भुगतान, मांग एवं आबंटन पत्र तथा निम्नलिखित खण्ड-16 के अनुसार किया जाएगा।

13. भुगतान का तरीका

फ्लैटों का आबंटन शारीरिक रूप से अशक्त/ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी को छोड़कर नकद आधार पर किया जायेगा जिनके पास विकल्प होगा कि वे अपना भुगतान या तो नकद आधार पर करें या फिर किश्तों में करें।

Sl. No.	Surrender/ Cancellation within following days from the date of issue of demand letter	In case of	
		EWS FLats	Others
1.	Before issue of demand letter	NIL	NIL
2.	1st day till 90th day	1000/-	5000/-
3.	91th day till 180th day	2000/-	25000/-
4.	181th day till 365th day, i.e., date of automatic cancellation	5000/-	50000/-

II. Following documents are to be submitted for refund in case of surrender/cancellation:

- Original allotment-cum-demand letter issued by DDA in respect of allotted flat.
- Proof of residence in case there is change of address as given in the application form.
- Photocopy of passbook or bank Manager's/In charge's certificate in case there is change in bank particulars from that given in the application form.

Note: In case flat is cancelled automatically as stated above, refund will be made after deduction of cancellation charges as stated above and no interest would be paid on amount deposited.

12. DISPOSAL COST OF THE FLATS

- The tentative disposal cost of the flats is given at annexure 'A'. The above cost includes land premium, cost of construction and 20% surcharge on land premium and cost of construction. Cost of construction includes departmental charges and interest during construction period. The land premium is normally revised every year on first April while cost of construction is revised twice during the year on 1st April and 1st October. The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats. There may be some more flats added or deleted at the discretion of DDA. If the area changes, the cost of flats will change accordingly.
- For maintenance of common areas, in respect of new housing pockets constructed after October, 2010 a maintenance fund is being created. For this purpose, for a period of 30 years, the civil and electrical maintenance charges have been added to the disposal cost. The entire maintenance funds collected would be placed in a corpus as an escrow account and maintenance (running & Capital) would be carried out of the interest earned out of the corpus. The fund will be apportioned to the RWAs registered with DDA and will be managed by a Committee in which DDA will be represented by the Executive Engineer of the concerned zone. The civil and electrical maintenance of all the newly constructed flats will be carried out only from the interest arising out of the corpus created for maintenance by registered RWA. In case, there is any shortfall, the concerned RWAs, registered with DDA, will have to bridge the gap through contribution from the allottee and DDA will not contribute any fund towards maintenance. The fund becomes operative from the date the first demand-cum-allotment letter is issued.
 - Flats at S.No.(s) 1-24 of annexure 'A' are old flats. Benefit of depreciation on construction cost has been provided at the time of computation of tentative disposal cost of these flats. One time maintenance has also not been charged thereon.
 - Flats at S. No.(s) 25-34 of annexure 'A' are of new inventory. Flats at S.No. 26, 29 to 34 of annexure 'A' are nearing completion. Tentative cost and plinth areas mentioned are on approximate basis. The disposal cost and plinth area would be finalized at appropriate stage of completion and, thus, demand would be raised accordingly.
 - In addition to the above, allottee is liable to pay conversion charges at the time of execution of the Conveyance Deed.
 - The cost of the flat and charges shall be paid as per the demand-cum-allotment letter and Clause 16 below.

13. MODE OF PAYMENT

The allotment of flats shall be made on cash down basis except under PD & EWS category who will have the option of making payment either on cash down basis or in instalments.

14. भुगतान की अवधि

आबंटिती को मांग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिन के अंदर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। उसके बाद आबंटिती को यह राशि 12% वार्षिक दर से 31 मार्च को संगणित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित अगले 9 महीनों के अंदर जमा करानी होगी। यदि ब्याज सहित भुगतान, मांग-पत्र की तिथि से 365 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो प्लैट्स का आबंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई 'कारण बताओ नोटिस/सूचना' नहीं दी जाएगी। इस योजना में, स्वतः रद्दकरण की तिथि के बाद भुगतान के लिए समय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बार यदि भुगतान न करने पर प्लैट स्वतः रद्द हो जाता है तो उसके बाद कोई बहाली (रिस्टोरेशन) नहीं की जाएगी। आबंटिती अगर मांग और आबंटन पत्र के जारी होने के 365 दिनों के अंदर मांगी गयी राशि का भुगतान करने में असफल होता है तो जमा की गई राशि बिना ब्याज के रद्दकरण प्रमारों को घटाकर वापिस कर दी जाएगी, जैसा पैरा 11.(i) में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी:- सभी आबंटितियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ब्याज सहित पूरी राशि, यदि कोई है, स्वतः रद्दकरण की तिथि से पहले जमा कर दी गई है।

15. मांगी गई राशि के भुगतान की पद्धति

सफल आबंटिती द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ऑन लाइन मोड द्वारा किया जाना है। आबंटिती के बैंक खाते से भुगतान करना होगा और कब्जा लेते समय पासबुक/बैंक विवरण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मांग एवं आबंटन पत्र की एक प्रति संबंधित आयुक्त, आयकर विभाग को भेजी जायेगी।

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ऑन लाइन मोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए बैंक का चयन किया जा सकता है और दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर जाकर, ई-चालान जनरेट किया जा सकता है।

16. हस्तांतरण विलेख

(क) संदिग्ध आवेदन-पत्रों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सही व्यक्तियों ने आवेदन किया है, मांग एवं आबंटन पत्र के अनुसार नकद आधार पर भुगतान करने वाले ई.डब्ल्यू.एस एवं शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी के आबंटिती सहित सफल आबंटिती द्वारा प्लैट की लागत का 90% भुगतान करने एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने/दस्तावेज जमा करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निर्धारित प्रारूप में एक विक्रय करार निष्पादित करना होगा जो विधि के अनुसार उप रजिस्टार के यहाँ पंजीकृत कराना होगा जिसके बाद उन्हें प्लैट का कब्जा सौंपा जाएगा।

(ख) आबंटिती हस्तांतरण विलेख का निष्पादन किए बिना प्लैट के पूरे या उसके किसी भाग के कब्जे सहित प्लैट का हस्तांतरण करने का हकदार नहीं होगा। हस्तांतरण विलेख का निष्पादन किए बिना प्लैट की बिक्री/अंतरण किए जाने के मामले में ऐसी बिक्री/अंतरण को प्राधिकरण मान्यता नहीं देगा और ऐसे प्लैट का आबंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा उसका कब्जा वापस ले लिया जाएगा।

(ग) कब्जा सौंपने की तारीख से 5 (पांच) वर्षों की अवधि के बाद एवं नीति के अनुसार ब्याज सहित प्लैट की शेष 10% लागत तथा परिवर्तन प्रमारों और अन्य सभी शुल्कों का भुगतान किए जाने की शर्त पर मूल आबंटिती से अनुरोध प्राप्त होने पर प्लैट के हक का हस्तांतरण करने वाले निर्धारित प्रारूप में एक हस्तांतरण विलेख मूल आबंटिती के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा, जो विधि के अनुसार उप रजिस्टार के यहाँ पंजीकृत कराया जाएगा, बशर्ते कि मूल आबंटिती ने प्लैट को किसी भी प्रकार के करार द्वारा पूरे प्लैट अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी तरह से बेचा, अंतरित अथवा हस्तांतरित नहीं किया है और उसके किसी भाग का कब्जा नहीं सौंपा है।

(घ) उक्त 5 (पांच) वर्षों की अवधि के दौरान मूल आबंटिती की मृत्यु होने के मामले में मूल आबंटिती के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेख, नामांतरण के संबंध में दि.वि.प्रा. की नीति, दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा किंतु मूल आबंटिती की मृत्यु यदि उक्त 5 (पांच) वर्षों की अवधि के बाद होती है तो हस्तांतरण विलेख मूल आबंटिती के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में विधि के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

17. फ्लैटों का कब्जा

i. आबंटिती कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा/होगी, जबकि उसने मांग व आबंटन पत्र के अनुसार एवं उपर्युक्त खण्ड 16 के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हों, सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया हो तथा अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत/निष्पादित कर दिये हों।

ii. यदि आबंटिती कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर प्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से तीन

14. PERIOD FOR PAYMENT

Allottee is liable to make the payment as per the demand-cum-allotment letter within 90 days from the date of issue of the said Letter without interest. Thereafter, the allottee is liable to deposit the amount in not more than next 9 months along with interest @ 12% p.a. compounded as on 31st March. If the payment including interest is not made within 365 days, including interest, from the date of demand letter, allotment of the flat will be automatically cancelled. No show cause notice/intimation will be given by the DDA for cancellation. No time extension for payment beyond the date of automatic cancellation would be given in this scheme. Also no restoration is allowed once the flat is automatically cancelled due to non payment. If the allottee fails to deposit the demanded amount within 365 days from the date of issue of demand-cum-allotment letter, the amount deposited will be refunded without interest and after deduction of cancellation charges as mentioned in para 11(i).

Note : All allottees are advised to ensure that full amount including interest, if any, is deposited before date of automatic cancellation.

15. METHOD OF PAYMENT OF DEMANDED AMOUNT

The payment of the demanded amount by the successful allottee will have to be made by RTGS/NEFT/Online mode. **Payment has to be made from allottee's account and at the time of possession, copy of passbook/bank statement has to be furnished. A copy of the demand-cum-allotment letter will be sent to the concerned Commissioner, Income Tax Department.**

For making payment through RTGS/NEFT/Online mode, banks can be selected and e-challan can be generated by visiting DDA website www.dda.org.in.

16. CONVEYANCE DEED

a. To prevent speculative applications and to ensure that only genuine persons apply, as per demand-cum-allotment letter a successful allottee, including an allottee under the EWS and PD category making payment on cash down basis, upon payment of 90% of the cost of the flat and completion of other formalities/submission of documents, execute an Agreement to Sell with DDA in the prescribed format which shall be registered with the Sub-Registrar as per law whereupon the possession of the flat shall be handed over to such allottee.

b. Allottee shall not be entitled to transfer or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat without execution of Conveyance Deed. In the event of sale/transfer being made without execution of Conveyance Deed, such sale/transfer shall not be recognized by the Authority and allotment of such flats will be cancelled and possession will be resumed.

c. A Conveyance Deed in the prescribed format transferring the title to the flat shall be executed in favour of the original allottee, which shall be registered with the Sub-Registrar as per law, upon receipt of a request from the original allottee, after a period of 5 (five) years from the date of handing over possession subject to payment of the balance 10% cost of the flat alongwith interest as per policy and the conversion charges and all other dues provided the original allottee has not in any manner sold, transferred or alienated the whole or any part of the flat by any agreement of whatsoever nature and parted with possession thereof.

d. In the event of the death of the original allottee during the said period of 5 (five) years, the Conveyance Deed shall be executed in favour of the legal heirs of the original allottee as per policy/guidelines of DDA in respect of mutation but in case of death of the original allottee after the said period of 5 (five) years, the Conveyance Deed shall be executed in favour of the legal heirs of the original allottee as per law.

17. POSSESSION OF FLATS

i. The allottees shall be entitled to take delivery of possession only after he/she has completed all the formalities, paid all dues and furnished/executed all the documents as required in the demand cum allotment letter and as per clause 16 above.

ii. If the allottee does not take possession of the flat within 3 months from the date of issue of possession letter, he/ she



DDA HOUSING SCHEME 2014

माह के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभारों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में निगरानी एवं देखभाल प्रभार एच.आई.जी. फ्लैट्स हेतु रु 2500/- प्रतिमाह, एम.आई.जी. फ्लैट्स एवं विस्तारणीय आवासों हेतु रु 2000/- तथा एल.आई.जी./एक शयन कक्ष फ्लैट्स हेतु रु 1500/- और जनता/ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स हेतु रु 1000/- प्रतिमाह है।

iii. यदि अभी भी वास्तविक कब्जा नहीं लिया जाता है तो आबंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई 'कारण बताओ नोटिस' जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, असाधारण मामलों में वास्तविक कब्जा 12 महीनों से 24 महीनों तक निर्धारित रिस्टोरेशन/रद्दकरण प्रभार के अतिरिक्त उक्तलिखित प्रभार की अदायगी पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दि.वि.प्रा. की पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसे रद्दकरण के मामले में फ्लैट की लागत हेतु जमा की गई राशि पैन्ल्टी काट कर ब्याज रहित देय होगी।

iv. सम्पत्ति "जहां है जैसा है" के आधार पर दी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त संदर्भित विनियमों के पैरा 19 में परिभाषित को छोड़कर किसी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा किसी प्रकार की शिकायत, चाहे वह सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में हो, अथवा फ्लैट की लागत, उसके डिजाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित हो, को स्वीकार नहीं करेगा।

टिप्पणी : दस्तावेजों को विलंब से जमा करने का विनियमन अनिवार्य प्रभार पर किया जाएगा जैसा कि दस्तावेजों के विलंब से जमा करने के लिए निर्दिष्ट है। परन्तु भुगतान करने के लिए किसी भी परिस्थिति में समय बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

18. बंधक रखने/ऋण लेने की सुविधा

आबंटिती दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिये बिना फ्लैट को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास फ्लैट बंधक रखा गया है, उसके संबंध में जानकारी संबंधित उप निदेशक (आवास) दि.वि.प्रा. को अवश्य भेजी जानी चाहिए :-

i भारत सरकार; ii राज्य सरकार; iii संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; iv सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय; v राष्ट्रीयकृत बैंक; vi भारतीय जीवन बीमा निगम; vii भारतीय साधारण बीमा निगम; viii आवास विकास वित्त निगम; ix सहकारी बैंक; x दिल्ली नगर निगम; xi नई दिल्ली नगर पालिका परिषद; xii संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां भले ही शेर धारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो xiii दिल्ली विश्वविद्यालय; xiv सभी निजी अथवा सार्वजनिक संगठन, जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बंधक रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। xv भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएं, यदि वे पांच करोड़ रुपये अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियां हों। xvi समस्त वित्तीय संस्थाएं/बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हो भले ही सरकार की अंशधारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो। xvii समस्त सार्वजनिक कम्पनियां जिनका पूंजीगत आधार पांच करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहां अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो, उदाहरण के लिए हुडको।

19. दुरुपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन आदि

फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। आबंटिती आवासीय इकाई को उप-विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा फ्लैट के ढांचे में कोई परिवर्धन/परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

20. सामान्य क्षेत्रों और सामान्य सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व प्रत्येक सफल आवेदक को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले विधि के प्रावधान के अनुसार इन आवासीय पॉकेटों के लिए सामान्य क्षेत्रों और सामान्य सेवाओं के रख-रखाव के उद्देश्य के लिए गठित पंजीकृत एजेंसी/एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का सदस्य बनना अपेक्षित है। तथापि, नव-निर्मित आवासीय पॉकेटों के मामले में, दि.वि.प्रा. उपर्युक्त पैरा 12 में दी गई सूची के अनुसार 30 वर्षों के लिए सामान्य क्षेत्रों के सिविल रख-रखाव का कार्य करेगा। 3 वर्षों के लिए सामान्य क्षेत्रों के विद्युतीय रखरखाव का कार्य दि.वि.प्रा. द्वारा उपर्युक्त खण्ड 12 ख (घ) के अनुसार किया जाएगा।

21. मिथ्या-कथन अथवा तथ्यों को छिपाना

यदि यह पाया गया कि आवेदक इस विवरणिका के खंड 2 में बताई गई शर्तों के अनुसार पात्र नहीं है अथवा उसने गलत दस्तावेजों के आधार पर आरक्षण का

shall be liable to pay watch and ward charges at the prescribed rates beyond a period of 3 months from the date of issue of possession letter up to a maximum period of one year from the date of issue of possession letter. At present watch & ward charges are ₹2500/- per month for HIG flats, ₹2000/- per month for MIG flats and expandable houses, ₹1500/- for LIG/one bed room flats and ₹1000/- for Janta/EWS.

iii. If the physical possession is still not taken over then the allotment shall be automatically cancelled. No show cause notice shall be served before cancellation. However, in exceptional cases the physical possession can be given beyond 12 months and up to 24 months on payment of said charges in addition to prescribed restoration/cancellation charges provided prior permission of DDA is obtained. Any amount deposited towards the cost of the flat shall be refundable without interest in such a case of cancellation after deduction of penalties.

iv. The property is being offered on "as is where is basis". The DDA will not entertain any request for additions or alterations or any complaints whatsoever, regarding property circumstances except as defined in para 19 of the Regulations referred to above or about cost of flats, its design, quality of material used, workmanship or any other defect.

Note: Late submission of documents shall be regularized on necessary charges as prescribed for delay in submission of documents. But no extension for making the payment will be allowed in any circumstances.

18. MORTGAGE/AVAILING LOAN

The allottee can avail housing loan by mortgaging the flat to following institutions without prior approval of the DDA. However, an intimation regarding institution to which it has been mortgaged must be sent to concerned Dy. Director (Housing), DDA:-

i. Government of India; ii. State Government; iii. Union Territory Administration; iv. Public Sector Undertakings/ Autonomous bodies; v. Nationalized banks; vi. Life Insurance Corporation of India; vii. General Insurance Corporation of India; viii. Housing Development Finance Corporation; ix. Cooperative banks; x. MCD; xi. NDMC; xii. All Joint Sector companies, irrespective of the percentage of share holding; xiii. University of Delhi; xiv. All organizations, private or public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt. for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company; xv. All Financial Institutions extending loans to individuals for house building, if they are leading companies with good market standing and reputed say with a capital base of ₹5 crores or so. xvi. All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding. xvii. All public companies with a capital base of ₹5 crores provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances, e.g., HUDCO.

19. MISUSE, ADDITIONS AND ALTERATIONS, ETC.

The flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to any other use. The allottee shall not be entitled to sub divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations.

20. RESPONSIBILITY FOR THE MAINTENANCE OF COMMON PORTIONS AND COMMON SERVICES, ETC.

Every successful applicant is required to become a member of the registered agency/association of Apartment Owners to be formed for the purpose of maintenance of common portions and common services for these housing pockets, in accordance with the provision, of the law in this behalf before the possession of the flat is handed over to him/her. The maintenance of common area in respect of new housing pockets constructed after 2010 will be taken care as per clause 12 (B).

21. MIS-REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS

If it is found that the applicant has applied although he was not eligible as per conditions laid down in clause 2 of this Brochure or

दावा किया है अथवा गलत पैन सं. बताने सहित झूठा शपथपत्र/जानकारी दी है अथवा किसी भी समय उसने वास्तविक तथ्य को छिपाया है, तो इसके लिए आवेदन (आवेदनों)/आबंटन (आबंटनों) को, बिना किसी कारण बताओं नोटिस के, रद्द/निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे रद्दकरण/निरस्तीकरण के मामले में, आवेदन (आवेदनों)/आबंटन (आबंटनों) के लिए जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ड्रा से पहले ऐसे आवेदन-पत्रों को अमान्य माना जाएगा और पंजीकरण राशि को, पंजीकरण राशि संग्रह करने वाले संबंधित बैंकों के माध्यम से वापिस कर दिया जाएगा। तथापि, यदि किसी भी वजह से, एक से अधिक आवेदन करने वाले आवेदक को, ड्रा में एक से अधिक आबंटन हो जाते हैं, ऐसे मामलों में, उस व्यक्ति विशेष के सभी आबंटनों को रद्द कर दिया जाएगा और पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसका दि.वि.प्रा. के, विधि के अनुसार अनुमत ऐसी किसी अन्य कार्रवाई करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. प्राथमिकता (प्रिफ्रेंशियल) के आधार पर आबंटन

- प्लैट के आबंटन में 3% आरक्षण अशक्त व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, जैसा अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में परिभाषित है।
- अशक्त व्यक्तियों को भूतल पर प्लेटों के आबंटन का प्रयास किया जाएगा।
- अशक्त व्यक्तियों को किराया खरीद के आधार पर आबंटन किया जाएगा। किराया खरीद आबंटन के मामले में आरंभिक भुगतान सामान्य श्रेणी पर लागू कुल लागत के 50% के स्थान पर 25% होगा। शेष राशि 15 वर्षों की अवधि तक मासिक किस्तों में ली जाएगी।
- लागत में 5% की रियायत अधिकतम रु. 1.00 लाख की सीमा तक अशक्त व्यक्तियों को दी जाएगी, जिन्हें उपरोक्त कोटे के तहत प्लैटों का आबंटन किया गया है। आबंटन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। हस्तांतरण विलेख के कागज केवल मूल आबंटिती के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि रियायती प्राकधान केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, इनका दुरुपयोग या व्यापार न किया जाए, यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त प्लैटों के आबंटन पत्र में विशिष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि आबंटिती द्वारा कब्जा लेने के 15 वर्ष से पूर्व प्लैट के स्वामित्व अधिकार के हस्तांतरण पर प्लैट को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के रद्दकरण को वापिस नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के सभी मामलों के लिए हस्तांतरण विलेख में निम्नलिखित विशिष्ट खण्ड भी शामिल होगा जो आबंटन पत्र में शामिल किया जाएगा और आबंटिती को प्लैट का कब्जा देने से पहले हस्तांतरण विलेख का भाग होने के कारण सहमति देते हुए एक शपथ पत्र देना होगा।

प्रस्तावित खण्ड निम्नानुसार होगा "कि आबंटिती/क्रेता विशिष्ट रूप से इस बात पर सहमत है कि वह विक्रेता द्वारा आबंटिती/क्रेता को कब्जा सौंपे जाने की वास्तविक तिथि से 15 वर्ष समाप्त होने के पहले किसी समय पूरे प्लैट अथवा इसके किसी भाग के स्वामित्व का विभाजन नहीं करेगा और उस सीमित सीमा तक संपत्ति का हक विक्रेता के पास जारी समझा जायेगा। इस पर पुनः विशिष्ट रूप से सहमति दी जाती है कि यदि आबंटिती/क्रेता वर्तमान हस्तांतरण विलेख की शर्तों का उल्लंघन करता है तो सम्पूर्ण हस्तांतरण विलेख को शून्य माना जाएगा और ऐसी स्थिति में विक्रेता आबंटिती/क्रेता से हस्तांतरित संपत्ति का कब्जा वापस पाने का हकदार होगा।"

यदि आबंटिती/क्रेता की मृत्यु 15 वर्ष की बताई गई अवधि समाप्त होने के पहले हो जाती है, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि और वारिस उपरोक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, परन्तु उन्हें कथित प्लैट पर कब्जा लेने की पात्रता होगी।

- रियायत उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 में परिभाषित अशक्तता के अर्थ में आते हैं और एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।
- "इस खण्ड के अंतर्गत अनुभेय लाभ केवल उन आवेदकों को दिये जाएंगे जिनको 3 % आरक्षित कोटे के अंतर्गत प्लैट आबंटित किए

has falsely claimed the benefit of reservation or has given false affidavit/information including quoting wrong PAN number or suppressed any material fact at any time whatsoever, the application(s)/allotment(s) will be rejected/cancelled summarily without issuing any show cause notice for the same. In case of such cancellation/rejection, all payment deposited against application(s)/allotment(s) shall be forfeited. In case multiple applications are received by any individual, such applications would be marked void before the final draw and registration amount will be refunded through respective collecting banks. However, if by any chance multiple allotments are made in the draw to a particular individual who has submitted multiple applications in such cases all the allotments to the particular individual would be cancelled and registration money forfeited. This will be without prejudice to DDA's right to take such other action as may be permissible in law.

22. PREFERENTIAL ALLOTMENT

- 3% reservation in allotment of flats will be provided to persons with disability as defined in Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
- Attempt shall be made to make allotment of flats to persons with disability at ground floor.
- The allotment of DDA flats to persons with disability would be on hire purchase basis. The initial payment in case of hire purchase allotment would be 25% instead of 50% of the total cost applicable for general category. Rest of the amount would be taken in monthly instalments over a period upto 15 years.
- 5% rebate in the cost subject to a maximum of ₹ 1.00 lakh will be given to the persons with disability who are allotted flats under the above quota. The remaining conditions of allotment will remain the same. The conveyance deed papers will be executed in the name of original allottees only.
- In order to ensure that the concessional provisions meant for the persons with disability do not lead to misuse or speculation, it has also been decided that the letter of allotment of such flats would specifically state that alienation of possession of the flat prior to 15 years from the delivery of possession to the allottee would result in automatic cancellation of the flat and under no circumstances such cancellation would be withdrawn. In addition, the conveyance deed for all such cases would also include the following specific clause which would be included in the letter of allotment itself and the allottee should by way of affidavit specifically agree to the same being a part of the conveyance deed before the possession of the flat is delivered to the allottee.

THE PROPOSED CLAUSE WOULD BE AS FOLLOWS "That the allottee/vendee specifically agrees that he shall not part with possession of the whole or any part of the flat at any time prior to the expiry of 15 years from the date of actual delivery of possession thereof by the vendor to the allottee/vendee and to that limited extent, the title in the property shall be deemed to continue to vest in the vendor. It is further specifically agreed that in case the allottee/ vendee violates terms of the present conveyance deed, the entire conveyance deed shall be deemed to be void and in that eventuality, the vendor shall be entitled to take back possession of the demised property from the allottee/ vendee".

In case the allottee/vendee dies prior to the expiry of the stated period of 15 years, his/her legal representatives and heirs shall be bound to honour the stated condition, but shall be entitled to occupy the said flat.

- The concession shall be applicable to persons who come within the meaning of disability as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and duly certified by a Medical Board.
- The permissible benefit under this clause will be given only to those applicants who have been allotted the



DDA HOUSING SCHEME 2014

जा चुके हैं। यदि फ्लैट सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आबंटित किए जाते हैं तो उनको उक्त लाभ किसी भी मामले या किसी भी तरीके से चाहे जो भी हो, नहीं दिया जाएगा और न तो वे इन लाभों के लिए दावा करेंगे और न ही दि.वि.प्रा. इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार करेगा।”

23. अन्य सामान्य शर्तें

- क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब कभी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना के किसी निबंधन एवं शर्त/खण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार है।
- ख) दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों/सभी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार होगा।
- ग) इस योजना के अंतर्गत आबंटन इस विवरणिका, मांग एवं आबंटन पत्र और दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा।
- घ) दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्रावधान के अनुसार सभी दरें, शुल्क, कर, प्रभार, म्युनिसिपल करों का निर्धारण और अन्य प्रकार की उगाहियाँ, किसी भी प्रकृति की हों, आबंटिती अथवा पंजीकृत एजेन्सी/एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, जैसा भी मामला हो, को वहन करनी होंगी और इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर आबंटिती अथवा एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स/पंजीकृत एजेन्सी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा।
- ङ) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली न्यायालयों में ही होगा।
- च) दि.वि.प्रा. के साथ आबंटन इत्यादि के संबंध में सभी पत्राचार में, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन फार्म सं., फाइल सं., आदि लिखें और ऐसे पत्र संबंधित उप-निदेशक, डी-ब्लॉक, विकास सदन, दि.वि.प्रा. नई दिल्ली-110023 को संबोधित करें।
- छ) यदि कोई शिकायत है, तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-I/निदेशक (आवास)-II, आयुक्त (आवास), प्रधान आयुक्त (आवास) या उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि पहले वह वित्त सलाहकार (आवास), डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से सम्पर्क करें।
- ज) फार्म स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अतः जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं, वे अपने जोखिम पर पंजीकरण करवाएंगे। यदि बाद में पता चलता है कि योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं हैं तो वे फ्लैट आबंटन के हकदार नहीं होंगे।
- झ) आवेदक को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन)/जी.आई.आर.सं. और आई.टी. सर्किल/वार्ड/जिले का उल्लेख करना चाहिए। इस सूचना के बिना आवेदन पत्र अधूरा समझा जाएगा और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।
- ञ) आबंटिती को भुगतान का स्रोत बताना होगा। इसके लिए बैंक पासबुक की एक प्रति और यदि ऋण लिया गया है, तो बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित ऋण दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- ट) आबंटिती को एक विधिवत् अनुप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पंजीकरण/उसको आबंटित फ्लैट के संबंध में उसने कोई सामान्य/विशेष मुख्तारनामा (जनरल/स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी) बिक्री करार, बयाना रसीद या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है।
- ठ) आवेदक द्वारा फ्लैट के आबंटन के लिए आवेदनपत्र में दी गई सूचना/दस्तावेज के सत्यापन पर मांग एवं आबंटन पत्र जारी किया जायेगा। किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दिये गए दस्तावेज/सूचनाएं, गलत/झूठी/असत्य पायी जाती हैं, तो आबंटन बिना किसी सूचना के स्वतः ही रद्द हो जाएगा और ऐसे मामलों में आवेदकों के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीकरण राशि भी जब्त हो जाएगी।

flat under 3% reserved quota. If the flat is allotted under general category, the above benefit will not be extended to them in any case or manner whatsoever and they will neither claim such benefits nor any requests in this regard will be entertained by the DDA.

23. OTHER GENERAL CONDITIONS

- A. DDA reserves the right to alter any term and condition/ clause of this scheme at its discretion as and when considered necessary.
- B. DDA reserves the right to increase or decrease the number of flats on offer in this scheme. DDA also reserves the right to withdraw some/all flats depending on the circumstances.
- C. The allotment under this scheme shall be on the terms and conditions contained in this brochure, demand cum allotment letter and the DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.
- D. As per provisions contained in Regulations No.17 of DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, all rates, fees, taxes, charges, assessment of municipal taxes and other levies of whatsoever nature shall be borne by the allottee or the registered agency/association of Apartment Owners' as the case may be and shall be payable by the allottee or Association of Apartment Owners'/ Registered Agency within the period specified in this behalf.
- E. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.
- F. In all the correspondence within DDA regarding allotment, etc., the applicants are advised to quote their application form no., file no., etc., and such correspondence be addressed to Dy. Director concerned, D-Block, Vikas Sadan, DDA, New Delhi-110 023.
- G. In case of any grievance, the applicant can contact Director (H)-I / Director (H)-II, Commissioner (H), Principal Commissioner (H) or the Vice-Chairman, DDA during their public hearing days. However, on financial issues the applicant is advised to first contact Financial Adviser (Housing), D-Block, 1st floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
- H. It is not possible to check the eligibility of applicant at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their names at their own risk and would not be entitled for allotment of flats if at a later stage it is detected that they are not eligible under this scheme.
- I. The applicant should mention his/her PAN/GIR No. and I.T Circle/Ward/District The application form without this information shall be considered incomplete and is liable to be rejected.
- J. Allottee will be required to intimate the source of payment. For the purpose, he will have to submit a copy of bank pass book, loan documents, if raised, duly attested by the Bank Manager.
- K. Allottee will be required to submit an affidavit duly attested that he/she has not executed any general/ special power of attorney, agreement to sell, bayanna receipt or any other document in respect of his/her registration/flat allotted to him/her.
- L. The demand cum allotment letter will be issued after verification of the information/document furnished by the applicant in the application form for allotment of flat. In case, if it is found at any stage that the documents/ information furnished by the applicant are incorrect/ false/untrue, the allotment shall stand cancelled automatically without any notice and the claim of the applicant in such cases will not be entertained. The registration amount will also be forfeited.

फ्लैटों का विवरण, अनुमानित लागत और स्थान के कोड DETAILS OF FLATS, TENTATIVE COST AND LOCALITY CODES					
क्र. सं. S. No.	स्थान Locality	स्थान कोड Locality Code	फ्लैटों की संख्या No. of flats	कुर्सी क्षेत्रफल की लगभग सीमा (वर्ग मीटर में) Approx. Range of Plinth area (in sq. meter)	अनुमानित निपटान लागत की विस्तृत सीमा (लाख रूपए में) Broad range of Tentative Disposal Cost (Rs. in lakhs)
अ / A पुरानी संपत्ति सूची OLD INVENTORY					
एच आई जी HIG					
1	रोहिणी सेक्टर-18 Rohini Sector-18	11	5	96.49 to 110.44	60.52 to 69.37
2	जसोला Jasola	12	4	131.92	108.66
3	मुखर्जी नगर Mukharjee Nagar	13	1	164.11	111.80
4	रोहिणी सेक्टर-29 Rohini Sector-29	14	9	151.06 to 156.61	92.60 to 96.03
5	शालीमार बाग Shalimar Bagh	15	1	84.82	37.50
6	मोतिया खान Motia Khan	16	1	131.10	120.65
एम आई जी MIG					
7	रोहिणी फेस- IV Rohini Ph. IV	21	19	72.28 to 94.54	32.55 to 48.53
8	रोहिणी, कालकाजी, कोन्डली घरोली, मानसरोवर पार्क, ईस्ट ऑफ लोनी रोड एवं झिलमिल Rohini, Kalkaji, Kondli Gharoli, Mansarovar Park, East of Loni Road & Jhilmil	22	10	65.46 to 84.70	33.19 to 46.00
9	जहांगीर पुरी Jahangirpuri	23	8	64.04 to 99.73	32.47 to 71.42
10	नरेला Narela	24	12	75.78 to 75.96	28.76 to 38.43
एलआईजी/एक शयन कक्ष LIG/ONE BED ROOM					
11	रोहिणी Rohini	31	81	42.83 to 49.81	14.57 to 27.57
12	द्वारका एवं नसीरपुर Dwarka & Nasirpur	32	2	43.56 to 50.71	19.25 to 21.53
13	जसोला, मोलड़बंद Jasola, Molarbund	33	24	39.04 to 57.03	15.38 to 27.85
14	लोकनायक पुरम, पश्चिम विहार Loknayak Puram, Paschim Vihar	34	234	41.15 to 44.33	16.58 to 19.04
15	जाफराबाद, दिलशाद गार्डन, कोन्डली घरोली, ईस्ट ऑफ लोनी रोड Jafraabad, Dilshad Garden, Kondli Gharoli, East of Loni Road	35	69	31.34 to 73.99	14.80 to 27.63
16	नरेला Narela	36	41	41.43 to 52.63	14.34 to 16.81
विस्तारणीय आवास योजना, टाइप "ए" EXPANDABLE HOUSING SCHEME TYPE "A"					
17	रोहिणी सेक्टर 20 एवं 25 Rohini Sector 20 & 25	51	40	35.00	19.80
18	नरेला ए-6 एवं ए-10 Narela A-6 & A-10	52	89	34.50 to 35.29	12.50 to 13.35
जनता JANTA					
19	रोहिणी, मंगोलपुरी Rohini, Mangolpuri	61	45	19.62 to 28.72	6.57 to 9.90
20	नसीरपुर, द्वारका, बिन्दापुर Nasirpur, Dwarka, Bindapur	62	30	20.51 to 27.76	6.10 to 9.30
21	तिगड़ी, मदनगिरी, जसोला Tigri, Madangiri, Jasola	63	5	20.06 to 23.22	5.87 to 9.60
22	रघुवीर नगर, पश्चिमपुरी, तोड़पुर Raghbir Nagar, Paschimपुरी, Todapur	64	19	18.85 to 23.17	5.40 to 9.50
23	कोन्डली घरोली Kondli Gharoli	65	43	25.10 to 26.58	7.00 to 9.70
24	नरेला Narela	66	19	26.11 to 28.07	6.65 to 7.15
उप-योग (ख) Sub Total (A)			811		
ब / B नव निर्मित फ्लैट्स NEWLY CONSTRUCTED FLATS					
एमआईजी MIG					
25	मुखर्जी नगर (श्रेणी II) Mukharjee Nagar (Cat.II)	*	25	126.17 to 126.81	69.25 to 69.60
26	नरेला ए-9 Narela A-9	**	26	109.00	67.38
27	कल्याण विहार Kalyan Vihar	*	27	75.90 to 90.60	42.00 to 49.00
एलआईजी/एक शयन कक्ष LIG/ONE BED ROOM					
28	द्वारका सेक्टर-23-बी Dwarka Sector-23-B	*	41	2360	17.76 to 18.06
29	रोहिणी सेक्टर-34 व 35 Rohini Sector-34 & 35	**	42	10875	15.00 to 15.25
30	नरेला जी-2 व जी-8 Narela G-2 & G-8	**	43	6422	14.70 to 14.94
31	सिरसपुर और नरेला Siraspur & Narela	**	44	2920	20.31
32	रोहिणी सेक्टर-16 Rohini Sector-16	**	45	50	20.73 to 21.93
जनता JANTA					
33	ओआरटी (एक कमरे का मकान) रोहिणी सेक्टर-4 ORT Rohini Sec.-4	**	67	384	10.36
ई. डब्ल्यू. एस. E.W.S.					
34	शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली Shivaji Marg, New Delhi	**	71	700	6.90 to 11.00
उप योग (क) Sub Total (B)			24223		
महा योग (क+ख) Grand Total (A+B)			25034		
* नव निर्मित Newly constructed, ** निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। Advanced stage of completion					
ई. डब्ल्यू. एस. फ्लैट्स के लिए-पार्किंग का मूल्य वास्तविक आधार पर अलग से लिया जाएगा।					
For EWS flats-Price of Parking will be charged extra on actual basis.					



DDA HOUSING SCHEME 2014

अनुलग्नक-ग

शपथ-पत्र

(टिप्पणी : यह शपथ-पत्र रु 10/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रु 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।)

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... का शपथ पत्र। मैं, उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. मेरे अथवा मेरी पत्नी/पति अथवा मेरे अवयस्क बच्चों, मेरे किसी अन्य आश्रित सम्बन्धी के पास दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी के शहरी क्षेत्र में पट्टा धारिता आधार पर अथवा फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई आवासीय भू-खण्ड अथवा मकान नहीं है।
3. मैं केवल एक रिहायशी इकाई के आवंटन के लिए आवेदन कर रहा हूँ।
4. पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय मैं व्यस्क था। मेरी जन्म तिथि है।
5. मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को निकाले गए झा में मेरी पंजीकरण संख्या के तहत मुझे आवंटित प्लेट सं. के किसी भाग या पूरे क्षेत्र को बेचा, हस्तांतरित या समनुदेशित नहीं किया है। मैंने किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई बिक्री करार, मुख्तारनामा अथवा बिक्री करने का करार नहीं किया है।
6. कि मैंने पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी दि.वि.प्रा. आवास योजना 2014 के अन्तर्गत एल.आई.जी./एम.आई.जी./एच.आई.जी./जनता/ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आवेदन संख्या.....द्वारा आवेदन किया था और मुझे पत्र संख्या दिनांक द्वारा प्लेट संख्या आवंटित किया था और मैं प्लेट का कब्जा पाने का हकदार हूँ।
7. कि श्रीमती सुपुत्री कानूनी रूप से मेरी विवाहिता पत्नी है।
8. मैंने आवेदन पत्र भरने से पहले, दि.वि.प्रा. आवास योजना, 2014 की विवरणिका की सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़कर समझ लिया है और मुझे ये सब स्वीकार्य हैं।

सत्यापन

मैं, एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ऊपर पैरा 1 से 8 में लिखी बातें सही हैं तथा उनमें कुछ भी असत्य नहीं है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

अभिसाक्षी

स्थान :

दिनांक :

AFFIDAVIT

ANNEXURE-C

(NOTE: This affidavit should be on a non-judicial stamp paper of ₹ 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh./Smt. _____ S/o/D/o/W/o Shri _____ R/o _____

aforsaid solemnly affirm and state as under:

1. I am a citizen of India.
2. I or my wife/husband or any of my dependant relations, including minor children do not own in full or part on free hold or lease hold basis any residential plot or house in the urban area of Delhi, New Delhi or Delhi Cantt.
3. I am applying for allotment of only one dwelling unit.
4. I have attained the age of majority at the time of applying for registration. My date of birth is _____.
5. I have not sold, transferred, assigned or parted with the possession of the whole or any part of the residence at No. _____ allotted to me against my Registration No. _____ in the draw held on _____ by the DDA. That I have not executed any Sale Agreement, Power of Attorney or Agreement to Sale in favour of anybody.
6. That I, _____ S/o/D/o/W/o _____ R/o _____ applied for registration of LIG/MIG/HIG/JANTA/EWS under DDA Housing Scheme, 2014 _____ vide application No. _____ and that I have been allotted a flat No. _____ vide allotment letter No. _____ dated _____. That I am entitled for possession of the flat.
7. That Smt. _____ D/o _____ is my legally wedded wife.
8. I have read, understood and before filling the application form I have accepted all the terms and conditions of brochure of DDA Housing Scheme, 2014.

VERIFICATION:

DEPONENT

I, _____, do hereby verify that the facts mentioned in Paras 1 to 8 above are correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

Place : _____

Date : _____

DEPONENT

अनुलग्नक - 'घ'

पति/पत्नी की ओर से शपथ-पत्र

(टिप्पणी : यह शपथ-पत्र रु 10/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/ सब-जज/ नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रु 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।)

श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमती
निवासी

का शपथपत्र। मैं, उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता/करती हूँ:

1. कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी, मेरे कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी हैं।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही हैं और इनमें कुछ भी गलत नहीं है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

स्थान :

दिनांक :

AFFIDAVIT FROM SPOUSE (HUSBAND/WIFE)

ANNEXURE-D

(NOTE: This affidavit should be on a non-judicial stamp paper of Rs.10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs.5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh./Smt. _____ S/o/W/o Shri/Smt. _____

R/o _____

I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

1. That Shri/Smt. _____ S/o/W/o _____, is my legally wedded husband/wife.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, _____, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and no material has been concealed.

DEPONENT

Place : _____

Date : _____



DDA HOUSING SCHEME 2014

अनुलग्नक - 'ड.'

वचन-बंध

(टिप्पणी : यह वचनबंध-पत्र रु 10/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब-जज / नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रु 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।)

जबकि, मुझे _____ सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री, श्री _____ निवासी _____ को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्धन और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर _____ आबंटित किया गया है (जिसे आगे प्लैट कहा गया है)।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत मुझे प्लैट का कब्जा सौंपने से पहले प्लैटों के उपबंध के अंतर्गत मेरे लिए प्लैट के साथ लगे हुए सामान्य भागों और सेवाओं के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक एजेन्सी का गठन और पंजीकरण कराना, प्लैट के हस्तांतरण विलेख और भूमि के संयुक्त पट्टा विलेख का निष्पादन कराना बाध्यकर होगा।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने प्लैट का तात्कालिक कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है।

मैं, _____ सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री/ _____ निवासी _____ एतद्वारा वचन देता हूँ कि आबंटित प्लैट का कब्जा पहले दिए जाने की स्थिति में, उन सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्धन और निपटान) विनियम, 1968, में निर्धारित है, जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेज भी शामिल हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लैट के करार, हस्तांतरण विलेख में निर्धारित किए गए हैं और मैं, उन पर हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूंगा/करूंगी तथा उनका पंजीकरण, प्लैट का कब्जा सौंपने की तिथि से 90 दिन के अन्दर या उस बढ़ाई गई अवधि, जिसकी अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दी जाए, में उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूंगा/दूंगी और उस बढ़ाई गई अवधि के 90 दिनों की उक्त अवधि के दौरान, जैसा भी अनुमेय हो, मैं, आबंटित प्लैट से संबद्ध सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल कराने के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

मैं, यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेन्सी का गठन करूंगा/करूंगी और उसका सदस्य बनूंगा/बनूंगी तथा उसके लिए बनाए गए आदर्श संविधान का पालन करूंगा/करूंगी, जिसे मैंने पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है।

मैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्द्धन और परिवर्तन न करने का भी वचन देता/देती हूँ। यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में असमर्थ रहा/रही, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय इकाई का आबंटन रद्द करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सन् 2014 के _____ मास के दिन _____ को निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

1. साक्षी
2. साक्षी

आबंटित

ANNEXURE-E

UNDERTAKING

(NOTE: This undertaking should be on a non-judicial stamp paper of Rs.10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs.5/- should be affixed thereon.)

WHEREAS, I, _____ S/o/D/o/W/o Shri _____ R/o _____ on an application made to the Delhi Development Authority under the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter called the said Regulation) have been allotted a _____ (hereinafter called the flat).

AND WHEREAS under the said Regulation, it is obligatory on my part to form a registered agency with the Vice-Chairman, DDA for the management and administration of the common portions and common services attached to the flats, execute the conveyance deed for the flat and joint lease deed for the land, under the appurtenant to the flats before the possession of the flat is handed over to me.

AND WHEREAS I in my own interest have applied to Delhi Development Authority for the possession of the flat allotted for immediate occupation, before the completion of the various formalities required to be performed by me under the said regulations and execution and registration of the documents provided in the Regulations.

I, _____ S/o/W/o/D/o _____ R/o _____ hereby undertake that in the event of the possession of the flat allotted being given to me earlier, I shall abide by all the terms and conditions that are set forth in the DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, including the documents containing therein, or may be set forth in the Conveyance Deed for the flat and the joint lease deed for the land under the appurtenant to the flats by the Delhi Development Authority and shall sign and execute the same with the Delhi Development Authority and get the same registered at my own cost and expenses in the manner prescribed under the said Regulations within 90 days from the date of handing over the possession of the flat or such extended period as may be permitted by the Vice Chairman of Delhi Development Authority from time to time and that during the said period of 90 days of such extended period as may be permitted, I shall be responsible for looking after the maintenance of the common services attached to the flat allotted.

I, further undertake that we shall constitute and become, a member of the Registered Agency prescribed under the said Regulations and abide by the constitution, a model form of which I have read and understood.

I also undertake not to make any addition and alteration in the dwelling unit allotted to me without obtaining prior and written permission from the DDA. It will be open to DDA to cancel the allotment and resume the possession of the dwelling unit, if I fail to fulfil the undertaking given herein.

Signed by me _____ on _____ day of _____ Two Thousand Fourteen.

In the presence of witnesses:-

1.

2.

अनुलग्नक- 'च'

श्री _____ पुत्र श्री _____
 निवासी _____
 और श्रीमती _____ पत्नी श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो।

श्री के नमूना हस्ताक्षर		श्री की फोटो
1.		
2.		
3.		

श्रीमती के नमूना हस्ताक्षर		श्रीमती की फोटो
1.		
2.		
3.		

ANNEXURE-F

Specimen signature and photograph of Shri _____ S/o/D/o/W/o Shri _____
 R/o _____ and
 Smt. _____ W/o Shri _____.

Specimen signature of Shri		Photograph of Shri
1.		
2.		
3.		

Specimen signature of Smt.		Photograph of Smt.
1.		
2.		
3.		

₹ 150/-
(Inclusive of VAT)



दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023
कृपया हमारी वेबसाइट: www.dda.org.in देखें

Delhi Development Authority

Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023
Please visit our website : www.dda.org.in
हेल्पलाइन नं. / Helpline No.: 1800 110 332

